

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 2022—ज्येष्ठ 18, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्र. एफ ए 3-93-2017-1-पांच (31).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-93-2017-1-पांच (162), दिनांक 29 दिसंबर, 2017, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस का 01 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक अधित्यजन किया जाएगा.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्र. एफ ए 3-93-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ ए 3-93-2017-1-पांच (31), दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

No. F A 3-93-2017-1-V-(31).—In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A 3-93-2017-1-V-(162), dated the 29th December, 2017, namely :—

In the said notification, after the fifth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the late fee payable for delay in furnishing of **FORM GSTR-4** for the Financial Year 2021-22 under section 47 of the said Act shall stand waived for the period from the 1st day of May, 2022 till the 30th day of June, 2022."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of May, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.